



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

## अनुलग्नक-2

**01.04.2021 से प्रभावी भा.वि.प्रा. क्रेडिट नीति (ट्रैफिक) के संशोधन 2 के परिणाम स्वरूप विलंबित भुगतान पर ब्याज की नमूना गणना:**

- क. दिनांक 01.04.2019 को या उसके बाद जारी किए गए इन्वॉइस (Invoice) के संबंध में, दिनांक 31.3.2021 तक के ब्याज की गणना पुरानी नीति के अनुसार की जाएगी ।
- ख. दिनांक 31.03.2021 को बकाया मूल राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा जो दिनांक 01.04.2021 से प्रभावी है ।
- ग. दिनांक 01.04.2021 से :
1. यदि इन्वॉइस (Invoice) जारी करने की तारीख घ (D) है, तो D+15 दिनों के भीतर भुगतान करने पर कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा ।
  2. उसके बाद भुगतान में देरी के लिए 12% प्रति वर्ष ब्याज लगाया जाएगा ।
  3. स्पष्टता और संदेह से बचने के लिए, इन्वॉइस (Invoice) यदि दिनांक 01 जून को जारी किया गया है, तो 15 जून तक भुगतान करने पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा । ब्याज दिनांक 16 जून से 12% प्रति वर्ष की दर से, भुगतान किए जाने तक देय होगा ।

टिप्पण:- विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अधिकृत माना जाएगा ।